


विदेशी घरेलू सहायक (एफडीएच)



क्या करें

हाँगकाँग और मानक रोज़गार अनुबंध (एसईसी) के कानून के तहत, आप निम्नलिखित के अधिकारी हैं

- प्रत्येक सात दिन की अवधि में कम से कम एक दिन का आराम, वैधानिक अवकाश और वार्षिक वैतनिक छुट्टी। नियोक्ता को आपको आराम के लिए काम करने या वैधानिक अवकाश के बदले में किसी प्रकार के भ्रगतान के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।
- वेतन एसईसी में निर्दिष्ट अनुबंध होगा और जिसका भ्रगतान वेतन अवधि की समाप्ति से सात दिनों के अंदर या एसईसी की समाप्ति तक तक किया जाए। उसिद्धान्मक वेतन एसईसी पर हस्ताक्षर करते समय प्रचलित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए।
- मुफ्त खाना (या उसके एवज में शेज़न भ्रत्ता), नियोक्ता के आवास पर यथोचित निजता के साथ मुफ्त विवास, मुफ्त चिकित्सा उपचार और मूल स्थान पर वापसी के लिए किराया।



रोज़गार एजेंसी (ईए) के साथ समझौता करते समय, आपको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए

- सुनिश्चित करें कि ईए के पास हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक सेवा (एकेएपीएआर) समकार द्वारा जारी वैध ईए लाइसेंस हो। स्टार्ट से ईए लाइसेंस को कहें या ईए के लाइसेंस की ऑनलाइन जांच करें।
- सुनिश्चित करें कि पुष्टि के लिए हस्ताक्षर करने से पहले आपने एसईसी की विवरण सामग्री और सेवा की व्याप्ति को समझ लिया हो। इसी के लिए रोज़गार अनुबंध की भ्रगतान नहीं रखने से रोद पाना सुनिश्चित करें।
- अपना पहला मासिक वेतन पाने के बाद ही ईए को निर्धारित कर्मचारी (जो आपके पहले मासिक वेतन का अधिकतम 10% है) का भ्रगतान करें। ईए को भ्रगतान करने के बाद शीर्ष ही ईए के लिए हस्ताक्षर नहीं रखने से रोद पाना सुनिश्चित करें।
- अपनी व्यक्तिगत पहचान से संबंधित दस्तावेज़ (ड्रेस, हाँगकाँग आईडी कार्ड और पासपोर्ट) और सामान (ड्रेस, कंबल) को अपने पास रखें। आपने नियोक्ता या ईए के स्टाफ सहित अन्य किसी व्यक्ति को आपको इन दस्तावेजों को उत्तर सुपुर्द करने या रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

जब आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको चाहिए

- शारीरिक शोषण या आपकी निजी सुरक्षा खतरे में होने पर सहायता के लिए तुरत ही पुलिस इमरजेंसी हॉटलाइन "999" पर कॉल करें।
- वेतन न मिलने पर या आपके रोज़गार अधिकारों का उल्लंघन होने पर मूलांकन और सहायता के लिए श्रम विभाग की 24 घंटे पुछताछ "2157 9537" पर कॉल करें या ऑफिस घंटों के दौरान श्रम विभाग की श्रम संबंधी डिविजन के उचित शाखा ऑफिस से संपर्क करें।



पूछताछ



अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रासंगिक एजेंसियों से पूछताछ करें या नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर जाएं:

विभाग	दायरा	हॉटलाइन	वेबसाइट
श्रम विभाग	एफडीएच के अधिकारी और उसे नियंत्रित करने वाले श्रम कानून	2717 1771 (हॉटलाइन का संचालन *1823 द्वारा किया जाता है)	www.fdh.labour.gov.hk
	FDH के लिए समर्पित हॉटलाइन	2157 9537 (हॉटलाइन का संचालन *1823 द्वारा किया जाता है)	
	ईए लाइसेंस और नियंत्रित कर्मचारी	2115 3667	www.eaa.labour.gov.hk
आदान विभाग	एफडीएच वीजा	2824 6111	www.immd.gov.hk/eng/services/visas/foreign Domestic_helpers.html
कस्टम और एक्साइज विभाग	द्वारा प्राते विभाग अंदरूनी व्यापार अभ्यास	2815 7711	www.customs.gov.hk
उपभोक्ता परिषद	उपभोक्ता विवाद	2929 2222	www.consumer.org.hk
हाँगकाँग पुलिस बल	इमरजेंसी के लिए	999	

勞工處 Labour Department

草日漫畫製作

1/2022

विदेशी घरेलू सहायक (एफडीएच)



क्या न करें



रोज़गार के दौरान, आपको

- अपने नियोक्ता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के पास रोज़गार करने, या एसईसी में निर्दिष्ट पते के अलावा अन्य कहीं रखने सहित नहीं है।
- आपको अपना वेतन प्राप्त करने से पहले किसी प्रकार के वेतन विवरण या रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए।

ईए के साथ समझौता करते समय, आपको

- ईए को नियंत्रित करने वाला, किसी प्रकार के खर्च या शुल्क जैसे खर्चों के अलावा अन्य कोटोंपाई शुल्क शुल्क, आरक्षण शुल्क और फोटोकॉमी शुल्क न भ्रगतान नहीं करना चाहिए।
- तृतीय पक्ष के माध्यम से या किसी वित्त सेवा कंपनी से ऐसे उधार लेकर ईए को भ्रगतान नहीं करना चाहिए, जहां ऐसा करने का ईए द्वारा अनुरोध या सुझाव ही क्यों दिया गया है।



किसी भी समय, आपको

- किसी व्यक्ति या संगठन (आपके नियोक्ता या ईए सहित) के साथ किसी दस्तावेज़, समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले चाहिए जिसकी जांच की समझ आपको न हो या जिसके अंदर मैं आप नियंत्रित न न हो।
- अपने एसईसी में कोई भ्रमी जानकारी (अपने वेतन और रोज़गार पते सहित) प्रदान नहीं करनी चाहिए अन्यथा आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।



勞工處 Labour Department

विदेशी घरेलू सहायकों, नियोक्ताओं और रोज़गार एजेंसियों आदि को इस पर्चे को ध्यान से पढ़ना चाहिए



आपकी सुरक्षा के लिए:
क्या करें और क्या नहीं करें

इस पर्चे का द्वितीय विदेशी घरेलू सहायकों, नियोक्ताओं और विदेशी घरेलू सहायकों के रोज़गार से संबंध रखने वाली एजेंसियों के अधिकारी और दायित्वों पर संकीर्ण विवरण प्रदान करना है। रोज़गार और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत शर्तों के लिए, विदेशी घरेलू सहायक, नियोक्ता और रोज़गार एजेंसियों को नालक रोज़गार अनुबंध (ID 407), और रोज़गार अध्यादेश का सदम्भ लेना चाहिए। इस पर्चे में नियंत्रित प्रावधानों के लिए यह रोज़गार अध्यादेश एकमात्र आधिकारिक अनुमति है, जबकि इस कानून को व्याख्या का अधिकार न्यायलय के पास आरक्षित है।

Hindi Version 印度文版本

एफडीएच के नियोक्ता



क्या करें

हाँगकाँग और मानक रोज़गार अनुबंध (एसईसी) के कानून के तहत, आपको चाहिए

- एसईसी में बताए अनुसार अपने एफडीएच की समय पर और पूरा वेतन अदा करें। संविदात्मक दर एसईसी पर हस्ताक्षर करते समय प्रचलित न्यूनतम अनुमत वेतन से कम नहीं होनी चाहिए।
- रोज़गार के दौरान यदि भ्रम अपने एफडीएच के साथ सहमत हों और एसईसी में इस समझौते को नियंत्रित करें। यदि नहीं, तो एसईसी पर हस्ताक्षर करते समय प्रत्येक माह एफडीएच को दिए जाने वाले भ्रम भ्रत्ते की रकम की दर प्रचलित दर से कम नहीं होनी चाहिए।



- अपने एफडीएच को प्रत्येक सात दिन की अवधि में कम से कम एक दिन का आराम है।
- अपने एफडीएच के लिए उसकी सेवकी अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना वैधानिक अवकाश की क्षमता का लाभ नहीं होता। यदि आपका एफडीएच यिछुले तीव्र माह से नोकरी पर है, तो वह वैधानिक वैधानिक अवकाश का क्षमता का लाभ नहीं होता।



- अपने एफडीएच को अपने निवास पर उचित निजता के साथ उपयुक्त आवास प्रदान करें।
- सभी अनिवार्य दस्तावेज़ प्राप्त करने से जुड़े खर्च, जैसे चिकित्सा जांच शुल्क, प्रासंगिक शुल्क, वीजा शुल्क, प्रशासनिक शुल्क या फिलिपीस औवरसीज़ एन्सॉल्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क और शुल्क, या प्रासंगिक सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लिया जाने वाला इसी प्रकार का शुल्क, को प्रतिपूर्ती अपने एफडीएच को करें।

रोजगार एजेंसी (ईए)



क्या करें

ईए को हर समय "रोजगार एजेंसियों के लिए कार्य संहिता" का पालन करना चाहिए।

नियोक्ताओं से समझौता करते समय, लाइसेंसधारी और ईए के स्टाफ को

- नियोक्ताओं को सटीक जानकारी और सही परामर्श देना चाहिए और नियोक्ताओं को प्रासंगिक कानून के प्रावधानों (रोजगार अध्यादेश, कर्मचारी प्रतिपत्ति अध्यादेश और आवश्यक अध्यादेश सहित) और मानक रोजगार अनुबंध (एसडीसी) (न्यूतनम अनुबंध वेतन, आराम के दिन, वैधानिक अवकाश, वार्षिक छुट्टी, बीमा भवति और वेतन भुगतान सहित) को समझाना चाहिए।
- नियोक्ताओं को उनके कोई सेवा प्रदान करने से पहले, एजेंसी की सेवा के दायरे, शुल्क योजना, गरंटी अवधि, धनवाचारों नीति, आदि के बारे में नियोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और उनके साथ लिखित तथा सेवा अनुबंध करना चाहिए। सभावित उम्मीदवार की पहचान हो जाने पर, एफडीएच के बारे में जानकारी, इयटी पर उपस्थित होने की अनुमति तिथि के साथ-साथ उसके द्वारा तय समय पर रिपोर्ट न करने पर की जाने वाली व्यवस्था या यह नियोक्ताओं द्वारा प्रतिव्यक्ति के अनुरूप को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए नियोक्ताओं ने इन दोनों को एजेंसी सेवा अनुबंध के साथ-साथ निर्धारित एफडीएच के विवरण की प्रति रखनी चाहिए जिसके ऊपर रिकॉर्ड दिया जाना चाहिए।
- नियोक्ताओं को एसडीसी के खंड 9 (क) के तहत और कर्मचारी प्रतिपत्ति अध्यादेश की अनुपलब्धता में उपस्थित हो सके, खासकर वे जिनका संबंध एफडीएच के रोजगार अधिकारी से होता है, और जिनका आयोजन संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों और/या एचकेरएआर सरकार द्वारा किया जाता है।
- नियोक्ताओं को उनके एफडीएच को छुट्टी देने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कि वे बीफ़िंग में उपस्थित हो सकें, खासकर वे जिनका संबंध एफडीएच के रोजगार अधिकारी से होता है, और जिनका आयोजन संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों और/या एचकेरएआर सरकार द्वारा किया जाता है।

एफडीएच से समझौता करते समय, लाइसेंसधारी और ईए के स्टाफ को

- प्लैसमेंट रिकॉर्ड रखने चाहिए। एफडीएच को किसी भी भ्रगतान के लिए किसी भी भ्रगतान के लिए जब्तूदी हो रही करनी चाहिए और प्लैसमेंट रिकॉर्ड के हिस्सों के रूप में रहस्यों की प्रति रखनी चाहिए।
- एफडीएच को उनके वैधानिक अधिकार और संरक्षण के साथ-साथ हांगकांग में कार्य करते समय के समाधान के माध्यम स्पष्ट रूप से समझाने चाहिए। जरूरतमंद एफडीएच का प्रासंगिक सरकारी विभागों से सहायता लेने के सबूद में मानवविधान कानून/ज्ञान देना चाहिए, खासकर जब इस बात का संदर्भ हो कि उनका शोषण किया गया है, उर्वरूप परा वेतन नहीं दिया गया है उर्वरूप विभाग दिन/अवकाश प्रदान नहीं किये गए हैं, आदि।



ईए के लाइसेंस से संबंधित मामलों के लिए, लाइसेंसधारी को

- ईए के व्यवसाय स्थान पर विशेष स्थिति में रोजगार एजेंसी विभाग को ईए का वैध लाइसेंस और दूसरी अनुसूची स्पष्ट रूप से दिखाएं (जिनी नौकरी के इच्छुक व्यक्ति से ईए द्वारा लिया जाने वाला अधिकतम शुल्क)।
- मौजदा ईए लाइसेंस के समय की समाप्ति से कम से कम दो माह पहले नवीकरण के लिए सभी आवश्यक समर्थन दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। अन्यथा लाइसेंस का नवीकरण समय पर नहीं हो पाएगा।
- लाइसेंस आवेदन के लिए श्रम विभाग (एलडी) को सटीक और ताजा जानकारी प्रदान करें, और एलडी को वैधानिक समय-सीमा के भीतर लिखित में निम्नलिखित बदलाव की सूचना दें: (i) प्रबंधन में किसी भी बदलाव के बाद 14 दिनों के भीतर; (ii) व्यवसाय के स्थान के बदलाव से कम से कम 14 दिन पहले; और (iii) व्यवसाय की समाप्ति के बाद सात दिनों के भीतर।

रोजगार एजेंसी (ईए)



क्या न करें

नियोक्ताओं से समझौता करते समय, लाइसेंसधारी और ईए के स्टाफ को

- उनके क्रृपण के पुनर्भूतान या कर्मीशन/मध्यवर्ती शुल्क/प्रविशण शुल्क के भ्रगतान के लिए एफडीएच के वेतन से बैर-कानूनी रूप से कटौती करने, या उर्वरूप विभाग दिया या वैधानिक अवकाश का अनुदान नहीं करने के लिए नियोक्ताओं को अनुरूप करने या उकसाने की अनुमति नहीं है।
- एफडीएच के लिए बीमा का आवेदन करते समय दूसरों के साथ मिलाइयत द्वारा झँठे अधिकारेन (वेतन, आवास व्यवस्था आदि के संदर्भ में) करने की अनुमति नहीं है जो कि आवजन अध्यादेश के तहत एक अपराध है।
- एफडीएच के हॉमेंटेंग में कार्य के लिए आप होले उनके गृह देश की प्रासंगिक शुल्क और/या संगठनों द्वारा लगाए जाने वाले प्रासंगिक शुल्क और खर्च के भ्रगतान का बोझ एफडीएच पर डालने के लिए नियोक्ताओं को परामर्श देने की अनुमति नहीं है।
- एफडीएच के बारे में नियोक्ताओं को ज़्यादी या गलत जानकारी देने की अनुमति नहीं है।

HA! HA! HA!!



एफडीएच से समझौता करते समय, लाइसेंसधारी और ईए के स्टाफ को

- एफडीएच से उनके पहले माह के वेतन के 10% से अधिक कमीशन लेने की अनुमति नहीं है।
- एफडीएच के पासपोर्ट/आइडीट्राई कार्ड, बैंक के एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, रोजगार अनुबंध, साथ ही एफडीएच के लिए सरकार की ओर से प्रकाशित सामग्री और पर्चे सहित उसकी
- एफडीएच से निधारित कमीशन के अलावा अन्य कई खर्च या शुल्क प्राप्त करने की, जिसमें फोटोकॉपी शुल्क, पंजीकरण शुल्क, फोटो लेने का शुल्क और आरक्षण शुल्क शामिल है लेकिन जो यहाँ तक सीमित नहीं है, या एफडीएच द्वारा पहले माह का वेतन प्राप्त करने से पहले कमीशन प्राप्त करने की अनुमति नहीं है; एफडीएच के वित्तीय मामलों में या क्रृपण प्राप्त करने की व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहिए।
- एफडीएच द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन करने में सहायता करने या रेसा करने के लिए उक्सान की अनुमति नहीं है।
- एफडीएच को समय से पहले रोजगार अनुबंध समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने या प्रलोकित करने की अनुमति नहीं है।

ईए के लाइसेंस से संबंधित मामलों के लिए, लाइसेंसधारी को

- अन्य व्यक्ति को उसका लाइसेंस उधार देने, हस्तांतरित करने या आवटित करने की अनुमति नहीं है।
- लाइसेंस प्राप्त करने के अलावा अन्य किसी स्थान पर ईंट व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।
- लाइसेंस के अनुदान से पहले, या समय समाप्ति के बाद मौजदा लाइसेंस के नवीकरण से पहले ईंट व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।



एफडीएच के नियोक्ता



क्या करें

अपने एफडीएच के साथ बातचीत का माहील और सामंजस्यपूर्ण संवाद और परस्पर समझ और सम्मान बनाए रहें।

एफडीएच के रोजगार के दौरान, आपको परामर्श दिया जाता है कि आप

- अपने एफडीएच को दी जाने वाली किसी छुटी, वेतन, हवाई टिकट, आदि के लिए दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रिकॉर्ड रखें।

एप्सेंसी के आरक्षण होने और पर्प्स/समात होने पर नकद के बजाय अपने एफडीएच के लिए उसके मूल स्थान तक और से सीधे हवाई टिकट खरीदें।

अपने एफडीएच की नौकरी के दौरान एक व्यापक बीमा पॉलिसी कारंप जिसमें एसईसी और कमीशनीय प्राप्तिपूर्ति अध्यादेश के तहत आवश्यक विकल्पों बीमा और कर्मचारी प्रतिपूर्ति शामिल होती हों।

अपने एफडीएच को उसके कर्तव्य समझाएं, और यदि ज़रूरी हुआ और जहाँ व्यवहार्य हो, उसका प्रदर्शन करें।

अपने एफडीएच के साथ कार्य व्यवस्था पर सहमती बनाएं और उसे आराम के लिए उचित समय।

अपने एफडीएच के साथ समझौता करते समय, आपको परामर्श दिया जाता है कि आप

- ईए से सेवा प्राप्त करें, और ईए की सेवा के मानक और प्रतिष्ठान के बारे में अपने परिवार और दोस्तों से परामर्श करें।

भ्रगतान से ग्रहण अनुबंध एवं उपर्युक्त उपलब्धतान की जहाँवाली से सेवा करें और एफडीएच के बारे में अपने विवरण से सेवा समझाएं।

प्रतिव्यक्ति रखें उर्वरूप समझाएं और एफडीएच के बारे में अपने विवरण से सेवा समझाएं।

यदि आप ईए के साथ उपलब्धतान के बारे में समझाएं तो एफडीएच का प्रयोग किया जाएगा।

शम संबंधी मुद्रा पर श्रम विभाग से परामर्श करें या यहाँ आवश्यक हो प्रासंगिक अधिकारीयों से सहायता की मांग करें।

अपने एफडीएच के साथ समझौता करते समय, आपको परामर्श दिया जाता है कि आप

- भ्रगतान से ग्रहण अनुबंध एवं उपर्युक्त उपलब्धतान की जहाँवाली से सेवा करें और एफडीएच के बारे में अपने विवरण से सेवा समझाएं।

प्रतिव्यक्ति रखें उर्वरूप समझाएं और एफडीएच के बारे में अपने विवर